राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(44)/ग्राविवि–5/पीएमएवाई/M-1/मीटिंग/2016–17 जयपुर, दि 27 सितम्बर, 2016

– :: विडियों कान्फ्रेसिंग सूचना :: –

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा 1 अप्रेल, 2016 से पूर्व में संचालित इन्दिरा आवास योजना को सुदृढीकृत कर **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण** प्रारम्भ की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के विधिवत प्रारम्भ किये जाने से पूर्व, गत वर्षो में स्वीकृत समस्त आवासों को पूर्ण किये जाने के निर्देशो के क्रम में विभाग द्वारा नवम्बर 2016 तक समस्त आवासों को साप्ताहिक जिलेवार लक्ष्य आवंटित कर पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया है।

उक्त सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान की अध्यक्षता में सर्वाधिक अपूर्ण आवास वाले 15 जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ, करौली, भीलवाडा, बांरा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बाडमेर, राजसमन्द, पाली, चित्तौडगढ़, जालौर एवं बीकानेर के जिला कलक्टर के साथ दिनांक 06.10.2016 को प्रातः 10:00 बजे, विडियों कान्फ्रेसिंग कक्ष एनआईसी, मुख्य भवन, सचिवालय में आयोजित की जावेगी। जिसके एजेण्डा बिन्दु निम्नानुसार है:–

1. वर्ष 2011–12 से 2015–16 में स्वीकृत, अपूर्ण आवासों को नवम्बर 2016 तक पूर्ण कराने पर चर्चा।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के विधिवत प्रारम्भ किये जाने की कार्ययोजना पर चर्चा।

अतः उक्त जिलों के जिला कलक्टर इंदिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजनान्तर्गत अधूरे मकानों को पूर्ण करने हेतु अब तक की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचनाओं एवं भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही के विवरण के साथ विडियों कान्फ्रेसिग में भाग लेवें।

27/9/16

(संजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. वरिष्ठ शासन उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ, करौली, भीलवाडा, बांरा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बाडमेर, राजसमन्द, पाली, चित्तौडगढ़, जालौर एवं बीकानेर को सूचनाओं के साथ वीसी में उपस्थित होने बाबत।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू), को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु।
6. श्री श्रीपाल यादव,प्रभारी विडियों कान्फ्रेसिंग, एनआईसी, शासन सचिवालय, जयपुर को आवश्यक व्यवस्था कराने बाबत।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र), उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ, करौली, भीलवाडा, बांरा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बाडमेर, राजसमन्द, पाली, चित्तौडगढ़, जालौर एवं बीकानेर।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)